उत्तराखण्ड शासन

परिवहन अनुभाग–1

संख्या–१०५/ix/106/2012/2025

देहरादून: 30,दिसम्बर, 2025

अधिसूचना

राज्यपाल, उत्तराखण्ड मोटर यान कराधान सुधार अधिनियम, 2003 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या–12/2003) की धारा 3 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा पूर्व में जारी अधिसूचना संख्या–562/IX-1/2023–02(04)/2023 दिनांक 07–11–2023 को अधिक्रमित करते हुए, केन्द्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 के नियम 51क के अधीन किसी रजिस्ट्रीकृत यान स्क्रैपिंग सुविधा में यान को स्क्रैप कराये जाने वाले गैर परिवहन एवं परिवहन यानों के सापेक्ष समान श्रेणी के नए वाहनों के पंजीयन के समय निम्नलिखित शर्तों के अधीन मोटरयान कर में छूट की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

(i) गैर–परिवहन यानों के मामले में देय एक वार्षिक मोटर यान कर का पच्चीस प्रतिशत,

(ii) परिवहन यानों के मामले में देय मोटर यान कर का पन्द्रह प्रतिशत,और,

(iii) व्यापक उत्सर्जन मानक भारत स्टेज 1 (बीएस–I) से आच्छादित गैर परिवहन एवं परिवहन यान तथा व्यापक उत्सर्जन मानक भारत स्टेज 2 (बीएस–II) से आच्छादित सभी मध्यम और भारी माल यानों तथा सभी मध्यम और भारी यात्री यानों को देय मोटर यान कर से 50 प्रतिशत।

परन्तु उपरोक्त छूट परिवहन यानों के मामले में आठ वर्ष तक और गैर परिवहन यानों के मामले में पंद्रह वर्ष तक उपलब्ध होगी। छूट पूर्ववर्ती यान को स्क्रैप किये जाने के पश्चात रजिस्ट्रीकृत यान स्क्रैपिंग सुविधा द्वारा जारी निक्षेप प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही अनुमन्य होगी।

स्पष्टीकरण 1–इस अधिसूचना के प्रयोजनार्थ, उपरोक्त मामलों में, इन अवधियों की गणना पहले रजिस्ट्रीकरण की तारीख से की जाएगी।

स्पष्टीकरण 2–इस अधिसूचना के प्रयोजनार्थ, "निक्षेप प्रमाणपत्र" पद का वही अर्थ होगा जो मोटर यान (वाहन स्क्रैपिंग सुविधा रजिस्ट्रीकरण और कृत्य) नियम 2021 के नियम 3 के खंड (ग) के उपखंड (1) में उसे अभिहित किया गया है।

2. यह अधिसूचना जारी किए जाने की तिथि से प्रभावी होगी।

Digitally signed by
Shri Brijesh Kumar Sant
Date: 30-12-2025
12:50:

(ब्रजेश कुमार संत)
सचिव।